

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला— ओ.पी. ए.सी.बी नागौर, थाना— प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रू० नि० व्यू० जयपुर।  
वर्ष—2022 प्र०इ०रि० सं. 69/22 दिनांक 31/31/2022
1. (I) अधिनियम :— पी०सी० एक्ट.धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन)
- 2018
- (II) अधिनियम ..... भादस ..... धाराये ..... 120 बी .....  
(III) अधिनियम ..... धाराये .....  
(IV) अन्य अधिनियम एवं धाराये भा०दं०सं०
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..... 57 समय ३.५० P.M.  
(ब) अपराध घटने का दिन—बुधवार, दिनांक 02.03.2022 समय 12.32 पी.एम.  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ...21.02.2022...समय..... 10.00 ए.एम.....
4. सूचना की किस्म :— लिखित / मौखिक— लिखित
5. घटनास्थलः— नगर परिषद नागौर।  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः—बजानिब उत्तर करीब 02 किमी  
(ब) बीट संख्या ..... जयरामदेही सं .....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना ..... जिला .....
6. (i) परिवादी :-  
(अ) नाम—श्री तेजाराम प्रजापत  
(ब) पिता / पति का नाम— स्व. श्री नाशयण राम  
(स) जन्म तिथी— उम्र—50 वर्ष  
(द) राष्ट्रीयता — भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि  
जारी होने की जगह .....  
(र) व्यवसाय — खेती  
(ल) पता—निवासी आर.एच.बी. कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का व्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :—
3. श्री माणकचन्द सांखला पुत्र स्व. श्री छगनलाल सांखला जाति माली उम्र 59 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 42 राठौड़ी कुआ, पुलिस थाना कोतवाली जिला नागौर, हाल फोरमैन अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता वितरण शहरी जलप्रदाय योजना नगर परिषद नागौर,
4. श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री जंवरीलाल भाटी जाति माली उम्र 46 वर्ष निवासी बास बाईसर, पोस्ट ताउसर पुलिस थाना कोतवाली जिला नागौर हाल स्टोर मुन्शी कार्यालय सहायक अभियंता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :—
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य— 1,25,400/- रु० रिश्वत राशि
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इतिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):—

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो,  
नागौर (राज०)

विषयः— नन्दकिशोर भाटी (नन्दू) ओडिटर (बाबू) व माणकचन्द सांखला चार्ज कनिष्ठ अभियन्ता वितरण, नगरिय जल प्रदाय योजना नगरपरिषद, नागौर को रंग हाथ पकड़वाने बाबत,

*Mahadev Ji*  
महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं तेजाराम प्रजापत पुत्र स्व. श्री नारायण राम जाति-कुम्हार उम्र 50 वर्ष निवासी आर.एच.बी. कॉलोनी नागौर का रहने वाला हूं मेरी फर्म मैं 0 एम0 आर0 टी0 इन्फा, नागौर है मेरे को नगर परिषद नागौर आयुक्त द्वारा कांकरिया पम्प हाउस का संचालन संधारण तथा इससे भरी जानी वाली टंकियो को भरना व सप्लाई देने का कार्य दिया हुआ था। माह जनवरी 2022 का रनिंग बिल राशि 1,03939 रु0 ( By chegue कटौती के बाद ) बनती है। उक्त राशि के पेटे ओडिटर श्री नन्द मुझसे 14.5% रुपये कमीशन के हिसाब से 15100 रु. कि मांग कर रहा है। जिसमें से 5000 रु0 नन्द द्वारा मुझसे पूर्व में ले चूका है। अब मेरे से वो 10400रु (दस हजार चार सौ रुपये) रिश्वत की मांग कर रहा है। व माह-फरवरी 2022 का बिल नहीं बनाने की धमकी दे रहा है। फरवरी 2022 के बिल के कमिशन की राशि की मांग कर रहा है। श्री कनिष्ठ अभियंता माणकचन्द जी (वितरण जयन चार्ज) द्वारा मेरे द्वारा किये गये पाईप लाईन के तीन कार्यों कि sd, GST व EMD कि राशि लगभग 7-8 लाख रुपये लगभग 4-5 वर्षों से नगर परिषद मे जमा है। मेरे द्वारा बार-बार प्रार्थना पत्रों द्वारा निवेदन किया गया जिस पर माणकचन्द द्वारा उक्त राशि रिलिज करने कि एवज में कुल देय राशि का 50 प्रतिशत बतौर रिश्वत मांग कर रहा है। तथा मेरे द्वा यदि रिश्वेत नहीं प्रदान कि गई तो मेरी फर्म के विरुद्ध टिप्पणी अंकित कर राशि जप्त करने की धमकी दे रहा है। मैं उक्त दोनों वित्तयों को अपने वाजिब काम के बदल रिश्वत देना नहीं चाहता हूं रिश्वत लेते हूं को रंग हाथ पकड़वाना चाहता हूं मेरा इनसे कोई उधार लेन-देन तथा ना ही कोई रणजीस है। कानूनी कार्यवाही करवाने का श्रम करावे।

प्रार्थी

sd

(तेजाम पुत्र स्व. श्री नारायण राम)  
मौ0 नं0 9667764922

### कार्यवाही पुलिस

दिनांक :— 21.02.2022 समय :— 10.00 ए.एम. इस समय उक्त तहरिर रिपोर्ट तेजाराम प्रजापत पुत्र स्व. श्री नारायण राम जाति-कुम्हार उम्र 50 वर्ष निवासी आर.एच.बी. कॉलोनी नागौर ने चौकी हाजा पर उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश की जिस पर परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरी फर्म मैं0 एम0 आर0 टी0 इन्फा, नागौर है मेरे को नगर परिषद नागौर आयुक्त द्वारा कांकरिया पम्प हाउस का संचालन संधारण तथा इससे भरी जानी वाली टंकियो को भरना व सप्लाई देने का कार्य दिया हुआ था। माह जनवरी 2022 का रनिंग बिल राशि 1,03939 रु0 ( By chegue कटौती के बाद ) बनती है। उक्त राशि के पेटे ओडिटर श्री नन्द मुझसे 14.5% रुपये कमीशन के हिसाब से 15100 रु. कि मांग कर रहा है। जिसमें से 5000 रु0 नन्द द्वारा मुझसे पूर्व में ले चूका है। अब मेरे से वो 10400रु (दस हजार चार सौ रुपये) रिश्वत की मांग कर रहा है। व माह-फरवरी 2022 का बिल नहीं बनाने की धमकी दे रहा है। फरवरी 2022 के बिल के कमिशन की राशि की मांग कर रहा है। श्री कनिष्ठ अभियंता माणकचन्द जी (वितरण जयन चार्ज) द्वारा मेरे द्वारा किये गये पाईप लाईन के तीन कार्यों कि sd, GST व EMD कि राशि लगभग 7-8 लाख रुपये लगभग 4-5 वर्षों से नगर परिषद मे जमा है। मेरे द्वारा बार-बार प्रार्थना पत्रों द्वारा निवेदन किया गया जिस पर माणकचन्द द्वारा उक्त राशि रिलिज करने कि एवज में कुल देय राशि का 50 प्रतिशत बतौर रिश्वत मांग कर रहा है। तथा मेरे द्वा यदि रिश्वेत नहीं प्रदान कि गई तो मेरी फर्म के विरुद्ध टिप्पणी अंकित कर राशि जप्त करने की धमकी दे रहा है। मैं उक्त दोनों वित्तयों को अपने वाजिब काम के बदल रिश्वत देना नहीं चाहता हूं रिश्वत लेते हूं को रंग हाथ पकड़वाना चाहता हूं मेरा इनसे कोई उधार लेन-देन तथा ना ही कोई रणजीस है। कानूनी कार्यवाही करवाने का श्रम करावें। परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की मैंने आपको दिनांक 14.02.2022 को जरिये दूरभाष शिकायत की थी लेकिन मेरे घरेलू कारण से आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियापत से मामला रिश्वत की मांग का पाया जानें पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का वॉईस रिकॉर्डर अलमारी में से निकाल कर परिवादी श्री तेजाराम को उसे ऑपरेट करनें की समझाईस की गई तथा उसे समझाया की वह श्री माणकचन्द फोरमेन व श्री नन्दकिशोर स्टोर मुन्शी कार्यालय सहायक अभियंता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर के पास जाकर अपने कार्य के संबंध में व लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करें तथा कार्यालय के श्री श्री कानाराम कानि. नम्बर 532 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जानें की हिदायत की गई। तत्पश्चात श्री

*Shrikant*

कानाराम कानि. नम्बर 532 एवं परिवादी श्री तेजाराम को कार्यालय का डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर देकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु नगर परिषद नागौर के लिए रवाना किया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। कुछ समय बाद श्री कानाराम कानि. नम्बर 532 मय परिवादी श्री तेजाराम के उपस्थित आया तथा वॉयस रिकॉर्डर पेश किया। परिवादी ने बताया कि एसीबी चौकी नागौर से हम मोटरसाईकिल से रवाना होकर नगर परिषद नागौर पहुँचे जहां पर नगर परिषद नागौर के सामने मैंने वॉयस रिकॉर्डर चालू कर श्री नन्दकिशोर स्टोर मुन्शी व श्री माणकचन्द कनिष्ठ अभियंता से वार्ता करने नगर परिषद भवन के अन्दर गया जहां मुझे श्री नन्दकिशोर व श्री माणकचन्द कनिष्ठ अभियंता अपने कमरे में नहीं मिले। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर आपके श्री कानाराम कानि को टेप रिकॉर्डर बन्द करके दे दिया। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर यहां पर आ गये। इसके पश्चात श्री कानाराम कानि. ने परिवादी के उपरोक्त कथनों की ताईद की। जिस पर वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पाया गया। परिवादी श्री तेजाराम को आईन्दा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की हिदायत कर रुकसत किया गया। दिनांक 25.02.2022 समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री तेजाराम ने अपने मोबाइल नम्बर 9667764922 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नम्बर 7014895099 पर फोन कर बताया की मेरी श्री माणकचन्द कनिष्ठ अभियंता से बात हुई उसने मुझे दिनांक 27.02.2022 को रविवार सुबह 10.00 ए.एम पर वार्ता करने के लिए अपने घर पर बुलाया है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री तेजाराम को हिदायत देकर बताया की सुबह 09.30 ए.एम पर एसीबी कार्यालय नागौर पर उपस्थित आवें, वहां पर कानि. श्री कानाराम उपस्थित मिलेगा जिनसे सम्पर्क कर कानि. के साथ डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर श्री माणकचन्द कनिष्ठ अभियंता के घर जाकर रिश्वती मांग संबंधि वार्ता करें। यूंकि पूर्व मे परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बन्द व चालू करने की विधी समझाई जा चूकी है तथा कानि. श्री कानाराम को भी परिवादी के साथ जाने की हिदायत दी गई। दिनांक 28.02.2022 समय 11.05 ए.एम. नोट दर्ज रहे कि मन् पुलिस निरीक्षक मय स्टॉफ के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ट्रेप कार्यवाही में खाना तलाशी हेतु शहर भीलवाड़ा में दिनांक 27.02.2022 उपस्थित हूँ। दिनांक 27.02.2022 समय 12.53 पी.एम. पर परिवादी श्री तेजाराम कुम्हार के मोबाइल नम्बर 9667764922 से श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48 के मोबाइल नम्बर 9214959320 पर कॉल आया और हैड कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी श्री तेजाराम आपसे बात करना चाहा रहा है, आपका फोन नोट रिचेबल बता रहा है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से वार्ता की तो परिवादी श्री तेजाराम ने बताया की आज मेरी श्री माणकचन्द कनिष्ठ अभियंता से सुबह करीब दस बजे बात हुई है तथा माणकचन्द द्वारा धरोहर राशि के बदले 50 प्रतिशत कमीशन मांग रहा है तथा 1,00,000 रुपये पहले देने के लिए कह रहा है तथा एक-दो दिन में रुपये देने के लिए बोला है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर श्री कानाराम कानि को सुपुर्द कर देवें तथा कानि. श्री कानाराम को भी हिदायत दी गई की डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित आलमारी में रखकर लॉक करें तथा मेरे आने पर वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करें। दिनांक 01.03.2022 समय 06.30 पी.एम. पर परिवादी श्री तेजाराम कार्यालय में उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक को बताया की श्री नन्दकिशोर भाटी ऑडिटर मेरे को बार-बार फोन कर रहा है तथा रिश्वत राशि कल सुबह लाने के लिए बोल रहा है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत की कि आप अपने मोबाइल से श्री नन्दकिशोर भाटी से रिश्वत राशि लेने संबंधि वार्ता करें। समय 06.40 पी.एम. पर परिवादी श्री तेजाराम ने अपने मोबाइल नम्बर 9667764922 से श्री नन्दकिशोर भाटी ऑडिटर के मोबाइल नम्बर 9001265750 पर अपने कार्य से संबंधित व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कार्यालय के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर लगे मैमोरी कार्ड में परिवादी के मोबाइल के हैण्ड सेट को फ्री कर वार्ता को रिकॉड किया गया, जिसमें श्री नन्दकिशोर ऑडिटर ने परिवादी से जनवरी-फरवरी 2022 के रंनिंग बिलों के भुगतान हेतु रिश्वत की मांग की गई तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि सुबह ही नगर परिषद कार्यालय में लेकर आने के लिए कहा। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई की आरोपी श्री नन्दकिशोर व श्री माणकचन्द को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रुकसत किया गया। दिनांक 02.03.2022 सयम 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री तेजाराम कार्यालय में उपस्थित आया और बताया की मैंने रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करके लाया हूँ तथा रिश्वत राशि लेकर मुझे आज ही कार्यालय में बुलाया है। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। समय 10.10 ए.एम. पर श्री कानाराम कानि. नं 532 को दो स्वतन्त्र गवाहो की तलबी हेतु प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नागौर के नाम की तहरिर देकर कार्यालय प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नागौर को रवाना

किया गया। कुछ समय बाद श्री कानाराम कानि० नम्बर 532 मय दो स्वतन्त्र गवाह श्री बीरबल चौधरी ड्राईवर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, नागौर व श्री योगेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक, कार्यालय प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। तत्पश्चात परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गवाहान श्री बीरबल चौधरी ड्राईवर व श्री योगेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, नागौर को पढ़कर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर को ढालु कर मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर उन्होंने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमती प्रदान की। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री तेजाराम को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 2000-2000 रुपये के 50 नोट कुल 1,00,000/- रुपये श्री माणकचन्द कनिष्ठ अभियंता जल प्रदाय योजना, नगर परिषद नागौर को बतौर रिश्वत देने हेतु एवं 2000-2000 रुपये के 07 नोट रुपये व 500-500 रुपये के 22 नोट व 200-200 रुपये के 02 नोट कुल 25,400/- रुपये श्री नन्दकिशोर भाटी ऑफिटर को देने के लिए भारतीय मुद्रा के अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये। जिसका विवरण इस प्रकार है :—

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	दो हजार रुपये का एक नोट	0CP 655880
2	दो हजार रुपये का एक नोट	7EG 349133
3	दो हजार रुपये का एक नोट	0KH 521756
4	दो हजार रुपये का एक नोट	5FF 395913
5	दो हजार रुपये का एक नोट	3GG 991590
6	दो हजार रुपये का एक नोट	5KD 168316
7	दो हजार रुपये का एक नोट	6MQ 247610
8	दो हजार रुपये का एक नोट	6HU 786848
9	दो हजार रुपये का एक नोट	1LE 934418
10	दो हजार रुपये का एक नोट	3FT 018835
11	दो हजार रुपये का एक नोट	3KA 647595
12	दो हजार रुपये का एक नोट	0FV 632581
13	दो हजार रुपये का एक नोट	5GB 160972
14	दो हजार रुपये का एक नोट	1KR 938702
15	दो हजार रुपये का एक नोट	7MC 262340
16	दो हजार रुपये का एक नोट	7GU 361173
17	दो हजार रुपये का एक नोट	6KF 183967
18	दो हजार रुपये का एक नोट	1FN 590278
19	दो हजार रुपये का एक नोट	9MH 265675
20	दो हजार रुपये का एक नोट	3GM 275919
21	दो हजार रुपये का एक नोट	9AQ 474282
22	दो हजार रुपये का एक नोट	8BC 046060
23	दो हजार रुपये का एक नोट	7DD 938933
24	दो हजार रुपये का एक नोट	1HU 473348
25	दो हजार रुपये का एक नोट	8DF 321963
26	दो हजार रुपये का एक नोट	1FE 654849
27	दो हजार रुपये का एक नोट	8GF 744395
28	दो हजार रुपये का एक नोट	4LC 691112
29	दो हजार रुपये का एक नोट	0AU 418589
30	दो हजार रुपये का एक नोट	1CP 319505
31	दो हजार रुपये का एक नोट	6CV 128971
32	दो हजार रुपये का एक नोट	4CW 505865
33	दो हजार रुपये का एक नोट	6EF 428901

34	दो हजार रुपये का एक नोट	9BP 259302
35	दो हजार रुपये का एक नोट	6KU 225534
36	दो हजार रुपये का एक नोट	7EA 662165
37	दो हजार रुपये का एक नोट	9FE 620094
38	दो हजार रुपये का एक नोट	2LP 914523
39	दो हजार रुपये का एक नोट	2BV 990634
40	दो हजार रुपये का एक नोट	4KN 899653
41	दो हजार रुपये का एक नोट	0BL 265939
42	दो हजार रुपये का एक नोट	3DM 417522
43	दो हजार रुपये का एक नोट	9CT 575358
44	दो हजार रुपये का एक नोट	7MQ 982677
45	दो हजार रुपये का एक नोट	1KC 864045
46	दो हजार रुपये का एक नोट	6GN 439317
47	दो हजार रुपये का एक नोट	1FQ 552316
48	दो हजार रुपये का एक नोट	9KE 457780
49	दो हजार रुपये का एक नोट	5BS 881966
50	दो हजार रुपये का एक नोट	7BQ 608468
51	दो हजार रुपये का एक नोट	7DH 106878
52	दो हजार रुपये का एक नोट	6KT 720327
53	दो हजार रुपये का एक नोट	4ER 573454
54	दो हजार रुपये का एक नोट	1BR 681192
55	दो हजार रुपये का एक नोट	9HF 829370
56	दो हजार रुपये का एक नोट	5AA 755161
57	दो हजार रुपये का एक नोट	4DR 538548
58	पाँच सौ रुपये का एक नोट	8MC 440213
59	पाँच सौ रुपये का एक नोट	9AW 665889
60	पाँच सौ रुपये का एक नोट	9NE 429361
61	पाँच सौ रुपये का एक नोट	6UC 612802
62	पाँच सौ रुपये का एक नोट	4EF 157835
63	पाँच सौ रुपये का एक नोट	0AQ 882226
64	पाँच सौ रुपये का एक नोट	3RT 142262
65	पाँच सौ रुपये का एक नोट	3HG 569376
66	पाँच सौ रुपये का एक नोट	6FM 316005
67	पाँच सौ रुपये का एक नोट	0UV 512524
68	पाँच सौ रुपये का एक नोट	6CA 633996
69	पाँच सौ रुपये का एक नोट	8UN 388157
70	पाँच सौ रुपये का एक नोट	3ET 100596
71	पाँच सौ रुपये का एक नोट	0SP 737152
72	पाँच सौ रुपये का एक नोट	3TP 416733
73	पाँच सौ रुपये का एक नोट	6ES 615410
74	पाँच सौ रुपये का एक नोट	7AS 101279
75	पाँच सौ रुपये का एक नोट	7VA 337843
76	पाँच सौ रुपये का एक नोट	2DU 363641
77	पाँच सौ रुपये का एक नोट	6GM 184323
78	पाँच सौ रुपये का एक नोट	7AU 449375

Nikei

79	पाँच सौ रुपये का एक नोट	7AU 410742
80	दौ सौ रुपये का एक नोट	3FB 716718
81	दौ सौ रुपये का एक नोट	9CB 507466

उपरोक्त सभी नोटों पर कार्यालय अलमारी से फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा निकालकर उपर्युक्त सभी नोटों पर कार्यालय के श्री बालाराम कानि. 554 से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री तेजाराम की जामा तलाशी गवाह श्री बीरबल चौधरीसे लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु/राशि नहीं मिली। श्री बालाराम कानि. से फिनोफथलीन पाउडर लगे 1,25,400/- रुपये परिवादी श्री तेजाराम के पहनी पेंटकी नीचे की दाहिनीं जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री तेजाराम को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपीगण रिश्वत की मांग नहीं करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफथलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उन्हे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपीगणों द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करें तथा मन् पुलिस निरीक्षक को मिस कॉल भी करें। यह भी ध्यान रखें कि आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखते हैं या छुपाते हैं। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपीगणों के मध्य होने वाले रिश्वती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् कार्यालय से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्री बालाराम कानि० के दाहिने हाथ की अंगुलियों व आगूठे को ढुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफथलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को दुरुस्त अलमारी में रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा कागज जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया है उसे जलवाया जाकर गिलास व श्री बालाराम कानि० के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री तेजाराम को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोलफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री तेजाराम को अपनी मोटर साईकिल से नगर परिषद नागौर को रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी के पिछे-पिछे मय, गवाहान श्री बीरबल चौधरी ड्राईवर व श्री योगेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक, कार्यालय प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, नागौर ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48, तुलछाराम हैड कानि. 94, नेमीचन्द कानि० 405, श्री मांगीलाल सुरेन्द्र सिंह मय सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु नगर परिषद नागौर को रवाना हुआ। श्री बालाराम कानिस्टेबल 554 को कार्यालय में छोड़ा गया। तत्पश्चात् पर मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान श्री बीरबल चौधरी ड्राईवर व श्री योगेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, नागौर ट्रेप दल के सदस्य नगर परिषद नागौर के पास पहुंचे जहां सड़क पर एक साईड में वाहन को खड़ा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आरोपीगणों से सम्पर्क करने हेतु नगर परिषद नागौर के भवन की तरफ रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए नगर परिषद नागौर के आस पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय 12.32 पी०एम० पर परिवादी श्री तेजाराम ने नगर परिषद, नागौर के सामने खड़ा होकर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास नगर परिषद नागौर के गेट पर पहुंचा। इस पर परिवादी श्री तेजाराम ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं श्री नन्द किशोर भाटी स्टोर मुन्शी कार्यालय सहायक अभियंता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर व श्री माणकचन्द सांखला फोरमैन हाल कनिष्ठ अभियंता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर के कमरे के अन्दर मिला और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तथा रिश्वत के बारे में बातचीत की

Nikle

तो श्री नन्द किशोर भाटी स्टोर मुन्सी कार्यालय सहायक अभियंता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर द्वारा रिश्वत की मांग करने पर मैंने अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि निकाल कर माणकचन्द को देनी चाही परन्तु उसने रिश्वत राशि स्टोर मुन्सी श्री नन्दकिशोर भाटी को ही देने के लिए ईशारा किया। तथा मैंने माणकचन्द से मोबाइल पर बाद की तो नन्दकिशोर को रूपये देने के लिए कहा। जिस पर मैंने दोनों को दी जाने वाली रिश्वत राशि श्री नन्दकिशोर भाटी को दे दी। जिसने रिश्वत राशि गिनकर अपने पहनी जींस पेन्ट की बायीं जेब में रख ली। उसके बाद मैंने नगर परिषद के मैन गेट से ही सिर पर हाथ फैर कर ईशारा कर दिया। जिस पर परिवादी को पूर्व में दिया गया डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त किया गया जो बन्द था। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी व एसीबी स्टाफ तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को लेकर नगर परिषद के अन्दर सामने वनी बिल्डिंग के कमरे की तरफ रवाना हुआ तो परिवादी ने ईशारा कर बताया की उक्त कमरे के अन्दर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही नन्दकिशोर भाटी स्टोर मुन्सी है। जिसने अभी-अभी मेरे से 1,25,400/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री नन्दकिशोर भाटी पुत्र श्री जवरीलाल भाटी जाति माली उम्र 46 साल निवासी बास बाईसर, पोस्ट ताउसर जिला नागौर हाल स्टोर मुन्सी कार्यालय वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर होना बताया। श्री नन्दकिशोर भाटी स्टोर मुन्सी से रिश्वत राशी लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने बताया कि तेजाराम के रनिंग बिल का भुगतान करने की एवज में 25,400/- रुपये रिश्वत की राशि स्वयं के लिये एवं 1,00,000 रुपये धरोहर राशि रिलीज करने के लिए श्री माणकचन्द सांखला कनिष्ठ अभियंता की सहमति से लिए थे। उक्त राशि मैंने परिवादी से लेकर मेरी जींस पेंट की बायीं जेब में रखी थी जो अभी मेरी जेब में ही है, उक्त कथन पर परिवादी श्री तेजाराम ने स्वतः ही बताया कि दिनांक 27.02.2022 को माणकचन्द कनिष्ठ अभियंता ने मेरी धरोहर राशि (ए.डी.) जी.एस.टी. व ई.एम.डी. की राशि को रिलीज करने की एवज में 50 प्रतिशत कमीशन मांगा था जिस पर 1,00,000/- रुपये पहले देना तय हुआ था तथा श्री नन्दकिशोर भाटी द्वारा मेरी फर्म के रनिंग बिल जनवरी व फरवरी 2022 का भुगतान करने की एवज में 25,400/- रुपये कमीशन के मांगे थे जो मैंने अभी-अभी 1,25,400/- रुपये श्री नन्दकिशोर भाटी को दिये हैं। मेरे से रिश्वत राशि श्री नन्दकिशोर भाटी ने अपने हाथ में लेकर गिनकर अपने पहनी जींस पेंट की बायीं जेब में रखे हैं। मेरे रनिंग बिल जनवरी 2022 का भुगतान हो चुका है तथा फरवरी 2022 का रनिंग बिल आज ही इनको पेश किया है, जो इनके पास है। रिश्वत लेने की ताईद होने पर श्री नन्दकिशोर भाटी का दायां व बांया हाथ क्लाई के उपर से मेरे निर्देश से कमशः कानिं श्री कानाराम व श्री नेमीचन्द से पकड़वाये गये। गवाह श्री बीरबल चौधरी से श्री नन्दकिशोर भाटी स्टोर मुन्सी के पहनी जींस पेंट की बायीं जेब की तलाशी लिवाई गई तो गवाह श्री बीरबल चौधरी ने रुपये निकालकर गिने तो उसने 2000-2000 रुपये के 57 नोट, 500-500 रुपये के 22 नोट तथा 200-200 रुपये के 2 नोट कुल 1,25,400/- रुपये होना बताया। जिसे गवाह श्री बीरबल चौधरी के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री नन्दकिशोर भाटी स्टोर मुन्सी को परिवादी से संबंधित पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री नन्दकिशोर भाटी स्टोर मुन्सी को परिवादी से जनवरी 2022 के रनिंग बिल का रनिंग बिलों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि जनवरी 2022 के रनिंग बिल का भुगतान किया जा चुका है तथा फरवरी 2022 का रनिंग बिल परिवादी ने आज ही मुझे पेश किया है तथा श्री तेजाराम की फर्म एम.आर.टी. इन्फा की पाईपलाईन से संबंधित कार्यों की जायेगी तथा श्री माणकचन्द कनिष्ठ अभियंता के बारे में पूछा तो बताया कि अभी तो वो जायेगी अब वो कहां गये हैं मुझे पता नहीं है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ऑफिस में ही थे, अब वो कहां गये हैं मुझे पता नहीं है जिस पर श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. मय कानि. श्री मांगीलाल मय पर बैठा होना ज्ञात हुआ। जिस पर श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. मय कानि. श्री माणकचन्द सरकारी वाहन व चालक श्री सुरेन्द्र सिंह को रेल्वे स्टेशन के पास से आरोपी श्री माणकचन्द को डिटेन करने के लिए हिदायत देकर रवाना किया गया। नोट :- कार्यालय नगर परिषद को डिटेन करने के लिए हिदायत देकर रवाना किया गया। नोट :- कार्यालय नगर परिषद को अतः श्री नन्दकिशोर भाटी स्टोर मुन्सी के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही सुरक्षा की दृष्टि से करने के अगे की कार्यवाही कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर में शुरू आगे की कार्यवाही कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर में शुरू की गई। तत्पश्चात कार्यालय हाजा में दो कांच के साफ गिलासों में पानी भरवाकर सोडियम की गई।




अलग से तैयार किया गया।  
उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री जंवरीलाल भाटी जाति माली उम्र 46 वर्ष निवासी बास बाईसर, पोस्ट ताउसर पुलिस थाना कोतवाली जिला नागौर हाल स्टोर मुन्शी कार्यालय सहायक अभियंता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर व श्री माणकचन्द्र सांखला पुत्र स्व. श्री छगनलाल सांखल जाति माली उम्र 59 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 42 राठौड़ी कुआ, पुलिस थाना कोतवाली जिला नागौर, हाल फोरमैन अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता वितरण शहरी जलप्रदाय योजना नगर परिषद नागौर द्वारा परिवादी श्री तेजाराम से धरोहर राशि (लगभग 7 लाख रुपये) रिलीज करने के एवज में अपने पद का दुरुपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न धरोहर राशि का 50 प्रतिशत रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुसरण में 1,00,000/- रुपये रिश्वत राशि आरोपी श्री नन्दकिशोर भाटी को दिलवाना व आरोपी श्री नन्दकिशोर भाटी स्टोर मुन्शी द्वारा परिवादी के रनिंग बिल जनवरी व फरवरी 2022 का भुगतान करने की एवज में अपने पद का दुरुपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुसरण में 25,400/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने पर जानें पर आरोपी श्री नन्दकिशोर स्टोर मुन्शी कार्यालय सहायक अभियंता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर व श्री माणकचन्द्र सांखला फोरमैन अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता वितरण शहरी जलप्रदाय योजना नगर परिषद नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 व 120वी भादस का जुर्म प्रथम दृष्ट्या घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपीगणों के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिव्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय,  
रुपेण  
(मोहन सिंह)  
पुलिस निरीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
नागौर।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मोहन सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं आरोपीगण 1.श्री माणकचन्द्र सांखला, फोरमैन, अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता वितरण शहरी जल प्रदाय योजना, नगर परिषद, नागौर एवं 2.श्री नन्दकिशोर, स्टोर मुन्शी, कार्यालय सहायक अभियंता, वितरण शहरी जल प्रदाय योजना, नगर परिषद नागौर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 69/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

 3.3.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 630-34 दिनांक 3.3.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर।

 3.3.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।